न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 19/2021 (2021/30)

अपीलान्ट

मोहनलाल पुत्र लिखमाराम, जाति माली, निवासी ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. गणेश चौहान पुत्र नारायणलाल जाति चौहान, निवासी – सी–130 कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 01/2021 गणेश चौहान बनाम मोहनलाल आदेश दिनांक 04.06.2021 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया।

––––

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री एल0 आर0 पूनिया (अपीलान्ट)।
2. अधिवक्ता श्री जोगसिंह भाटी (रेस्पोडेन्ट संख्या 01)

–: आदेश :– दिनांक :– 10.08.2021

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 01/2021 गणेश चौहान बनाम मोहनलाल आदेश दिनांक 04.06.2021 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया, के विरूद्ध में की है। संक्षिप्त में अपील अपीलान्ट के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना–पत्र 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष पेश किया तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना–पत्र के नियमानुसार निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत सालावास को प्रेषित किया जिसे ग्राम पंचायत ने पंचायत मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसल कर दिया। उसके बाद रेस्पोडेन्ट ने नये सिरे से तहसीलदार के समक्ष धारा 251 का प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर अपीलान्ट/अप्रार्थी ने आपत्तियां पेश की एवं प्रकरण की वास्तविक स्थिति पेश कर प्रकरण की विषय वस्तु एवं समान भूमि व पक्षकारान् के मध्य सहायक कलेक्टर लूणी में धारा 251 ए के तहत मूलवाद तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में रीट विचाराधीन है तथा वाद में स्थगन आदेश पारित है जिसमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार है परन्तु तहसीलदार ने मनमाने तौर पर अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूणी से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री जोगसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 12.07.2021 को सुनी गई।

दिनांक 24.06.2021 को रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् वास्तविक तथ्यों को अवगत करवाने हेतु पेश कर बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 54, 53/16, 53/17, 53/3 ग्राम सालावास की कृषि भूमि के सहारे बना कदिमी ग्रेवल सड़क रास्ते को खाई खोद कर अवरूद्ध करने का कृत्य किया था। प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर आम रास्ते को खोलने की याचना की गई। तहसीलदार ने अपीलार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जिसके पश्चात उसने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब, दस्तावेज एवं लिखित बहस पेश की। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा दिनांक 04.06.2021 को आदेश पारित कर बन्द रास्ते को खोलने का आदेश दिया गया। ग्रामवासी सालावास द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष तहसीलदार के आदेश पश्चात ग्रेवल सड़क को पुनः बहाल कर दिया गया। इसकी रिपोर्ट भी बनाकर पटवारी हल्का ने तहसीलदार कार्यालय में पेश कर दी है जिसमें लिखा है कि रास्ता खुला हुआ है और आवागमन की कोई दुविधा नहीं हो रही है, विशेष रूप से लिखा है कि '' मौके पर खसरा संख्या 53 व 54 की उत्तरी माठ तक रास्ता खुला हुआ है।'' इस तरह श्रीमान के आदेश दिनांक 14.06.2021 के पारित होने से पूर्व मौके पर रास्ता खुला हुआ है और मौके पर बनी ग्रेवल सड़क प्रत्यर्थी एवं पड़ौसी खातेदारों की भूमि में आवागमन का एकमात्र मार्ग है। जिसकी सूचना प्रत्यर्थी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है। अपीलान्ट श्रीमान के आदेश दिनांक 14.06.2021 की आड़ में मौके पर चालू ग्रेवल सड़क को पुनः अवरूद्ध कर सकता है। ग्रेवल सड़क नरेगा के तहत निर्मित है।

अतः निवेदन है कि न्यायहित में प्रत्यर्थी संख्या 01 के इस प्रार्थना–पत्र को रिकॉर्ड पर लेकर धारा 153 सीपीसी के प्रावधानानुसार अन्तरिम आदेश दिनांक 14.06.2021 को संशोधित कर पक्षकारान् को मौके की यथास्थिति कायमरखने का संशोधित आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त हो गया है तथा तामिली की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। अतः न्यायालय अपील का गुणावगुण पर बहस सुनकर अन्तिम निर्णय करना उचित समझता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक नहीं समझते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं दस्तावेज साक्ष्य पेश करने का समुचित समय प्रदान नहीं किया गया। न्यायिक एवं राजकीय अधिसूचना के आधार पर भी प्रकरण में समुचित सुनवाई का अवसर देना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि जब धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष वाद पेश कर दिया एवं उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ता खुलवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार भी पक्षकार है जिसकी जानकारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया। साथ ही धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 251 विरोधाभाषी है जहाँ नया रास्ता बनवाने बाबत् प्रावधान के तहत धारा 251 ए का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिससे स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर नहीं है तो धारा 251 के प्रावधान किसी भी रूप में लागू नहीं होते है उक्त तथ्यों को भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने के बाद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने बहस में आगे कहा कि खसरा नं0 53/16, 53/17, 53/8 की भूमि अपीलान्ट व उसके भाईयों की खातेदारी भूमि है इस भूमि बाबत् एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी में विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 19.01.2021 को पारित किया हुआ है जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त आदेश के प्रभाव में रहते हुए एवं अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में होते हुए भी उक्त भूमि बाबत् स्थिति में परिवर्तन करने हेतु आदेश पारित कर न्यायालय की अवमानना है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में निरन्तर में बतलाया कि खसरा नं0 53 अपीलांट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट ने रास्ता खुलवाने हेतु प्रथम प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिसे तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को प्रेषित किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत ने निर्णय पारित कर दिया जिसकी कोई अपील नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा दूसरा प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया तो अपीलार्थी ने प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार ने कोई निर्णय नहीं किया और रास्ता खोलने का आदेश दे दिया। रेस्पोडेन्ट खसरा नं0 54/8 रकबा 02 बीघा बतौर मालिक उस पर काबिज है जिस पर तामीर/लकड़ी की फैक्ट्री बनी हुई है। आवासीय व गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्य की भूमि पर जाने लिए खातेदारी भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। इसके समर्थन में न्यायिक निर्णय त्त्क 1995 च।ळम् छत् 469 पेश करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश का अपास्त करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि तहसीलदार द्वारा जिस भूमि पर रास्ता होना बताया गया है उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है जिसे न तो सरकार द्वारा आवाप्त किया गया, न ही खातेदार द्वारा समर्पण किया गया और न ही किसी अन्य द्वारा खरीद की गई। किसी अन्य के द्वारा उस पर अवैध रूप से रास्ता बना लेने से या अवैध कब्जा कर लेने से अधिकार पैदा नहीं होते है। सरकार या अन्य किसी खातेदार को अगर किसी अन्य की खातेदारी जमीन में से रास्ता चाहिए तो खातेदार को नियमानुसार मुआवजा देना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का कोई मुआवजा अपीलर्थी को नहीं दिया गया। इसके समर्थन में न्यायिक निर्णय त्त्ज् 2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

च।ळम् छ० 425 पेश करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53 व 54 के मध्य से दशकों से कदीमी रास्ता होने के कारण वर्ष 2009 में ग्राम पंचायत सालावास के जरिये नरेगा अधिनियम के तहत लगभग 13,00,000/– रूपये खर्च कर राज्य सरकार द्वारा ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया। यह सड़क बोरानाड़ा से किसनाराम भाटी के खेत तक जाती है। पिछले 13 वर्षो में अपीलार्थी द्वारा सड़क के निर्माण के दौरान से लेकर फरवरी 2021 में विवाद उत्पन्न होने तक कभी भी व किसी भी स्तर पर सड़क निर्माण का विरोध नहीं किया गया। लिहाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत खातेदार यदि ऐसी विवादित भूमि के हिस्से पर अपना हक व अधिकार समझता हो फिर भी उसके द्वारा 7 वर्षो से अधिक समय से ऐसे भू भाग पर काश्तकारी नहीं की हो तो वह अपनी जोत का हक खो देता है और यह उपधारणा की जा सकती है कि उसने जोत का परित्याग कर दिया है जबकि वर्तमान विवाद में 07 वर्ष से अधिक समय यानि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके है।

प्रत्यर्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से यह ज्ञात है कि हल्का पटवारी द्वारा पेश फर्द के अनुसार मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई थी। जिसे जेसीबी से खोद कर बंद किया गया है। मौके की फोटो भी रेकर्ड पर उपलब्ध है जिसमें भी स्पष्ट रूप से उक्त ग्रेवल सड़क को दो भागों में खोद कर विभक्त करने एवं रास्ता रोकना साबित होता है। लिहाजा धारा 251 के तहत तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसा कोई मार्ग जिसका सूखाचार या अधिकार भूधारक उपभोग कर रहा हो और ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में विघ्नग्रस्त भूधारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने का आदेश दे सकेगा और धारक–आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।

प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने यह आक्षेप लगाया कि अपीलार्थी द्वारा ही उसके खसरा संख्या 54/8 से मुख्य बोरानाडा की तरफ जाने वाली ग्रेवल सड़क पर विघ्न पैदा करने की मंशा से जेसीबी से खाई खोद कर खड़ा किया गया है जिससे आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। इस संबंध में अपीलार्थी का यह कथन कि पटवारी रिकॉर्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि पर टिम्बर फैक्ट्री होना लिखा है, परन्तु मात्र ऐसा लिखे जाने से प्रत्यर्थी संख्या 1 का भूमिधारी होने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 की भूमि वर्तमान में खातेदारी भूमि है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार खसरा संख्या 54/8 ग्राम सालावास दर्ज है अर्थात् वह भूधारक है, उसके सुखाचार पर अतिक्रमण किया गया है। लिहाजा उसे धारा 251 के तहत राहत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा जिस राजस्व वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा मौके की व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया है उन खसरों का मिलान प्रत्यर्थी संख्या 1 के खसरे से नहीं हो रहा है और अपीलार्थी यह बताने में भी असफल रहा है जिस विवादित रास्ते का उल्लेख प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है वह रास्ता खसरा संख्या 53/16, 53/17 व 53/8 में से होकर गुजरता हो। यह भी अविवादित है कि उक्त राजस्व वाद में प्रत्यर्थी संख्या 1 पक्षकार नहीं है। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी विवादित रास्ता खसरा संख्या 53 व 54 के मध्य होना बताया है जो मौके पर मौजूद है लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज ना होने के कारण अपीलार्थी द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं अन्य पेश दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह साबित है कि मौके पर ग्रेवल सड़क निर्मित है लेकिन अपीलार्थी ने यह असत्य कथन किया है कि मौके पर कोई ग्रेवल सड़क नहीं है लिहाजा अपीलार्थी द्वारा पेश आधार असत्य होने से अस्वीकार है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.1984 बअनवान कल्याण वगैरा बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान पेश कर बतलाया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ग्राम पंचायत को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अधिकार प्रदान किये जाने के बावजूद तहसीलदार को प्रदत्त अधिकार समाप्त नहीं हुए है और तहसीलदार धारा 251 के तहत समुचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम है चाहे ग्राम पंचायत द्वारा विधि के प्रावधान अनुसार कोई कार्यवाही अमल में लाई गई हो। लिहाजा न्यायिक दृष्टांत अनुसार अपीलार्थी का यह आधार स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् तहसीलदार लूणी को धारा 251 के तहत आदेश पारित करने का अधिकार ना हो। लिहाजा तहसीलदार लूणी का आदेश दिनांक 04.06.2021 यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलार्थी ने जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये है वे धारा 251 के तहत उस समय तहसीलदार को आदेश करने से रोकते है जब दोनों पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के हक के संबंध में कोई राजस्व वाद लम्बित हो। लेकिन प्रस्तुत मामले में दोनों पक्षकारों के मध्य कोई राजस्व विवाद बाबत् हक व अधिकार लम्बित नहीं है व मात्र एक विविध प्रार्थना पत्र धारा 251 लम्बित है। लिहाजा अपीलार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत उसके पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं।

अन्त में अपीलार्थी की अपील सव्यय निरस्त करने एवं अपीलाधीन आदेश को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि को लेकर माननीय राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस0 बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 4922/2021 एवं सहायक कलक्टर लूणी के समक्ष राजस्व वाद विचाराधीन है। हल्का पटवारी [illegible] रिपोर्ट दिनांक 22.04.2021 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नं0 53 व 54 की माठ पर गै0 मु0 रास्ता दर्ज नहीं है परन्तु मौके पर ग्रेवल सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत सालावास द्वारा करवाया गया है उक्त रास्ता कई वर्षों पुराना है एवं इसी रास्ते के जरिये ही अड़ौस पड़ौस के खातेदार कृषि कार्य हेतु आते–जाते है। रिपोर्ट में पिछले 2 माह से मोहनलाल पुत्र लिखमाराम माली ने जेसीबी की सहायता से उक्त रास्ते को खाई दिलवाकर बंद करना बताया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्याय निर्णय के दृष्टान्त स्वीकार्य है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि के अधिकारों एवं रास्ता प्रयोजनार्थ को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट याचिका एवं राजस्व न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन है तथा रास्ते के रूप में मौके पर काफी लम्बे अरसे से ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है। वर्षों पूर्व ग्रेवल सड़क के निर्माण के दौरान भी अपीलार्थीपक्ष के एतराज नहीं करने का कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित भूमि पर कदीमी रास्ते के रूप में ग्रेवल सड़क का निर्माण करने के पश्चात् अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा रास्ता बन्द करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता खोलने का अपीलाधीन आदेश दिया गया, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:56 IST
Reason: SelfAttested